

अंचल अधिकारी का कार्यालय

अभिलेख वाद संख्या- 131/2016.....

वाद का प्रकार- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-2074/रा०, दिनांक-13.05.2016 सहपतिश श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा०म०नि०-119/85/2308/रा०, दिनांक-03.09.1985 एवं सह-पतित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा०, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमरूआ खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ०नि०द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

मौजा- जिमडा थाना- करई खाता संख्या- 77 प्लॉट संख्या-
रकबा- 4.150 एकड़ की भूमि जो गैरमरूआ खास, अनावाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के 2376 की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पत्ती-11 के जिल्द संख्या- 5 के पृष्ठ संख्या- 103 पर जमाबंदी रैयत पुनः 3219-9 के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोवस्ती के आधार पर/ अवैध कोडकर बंदोवस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।



अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक- 19/11/18 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी

आदेश का कमांक/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई पर टिप्पणी
07.12.2028	<p>अभिलेख उपस्थापित। खास सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख में संलग्न है। सुनवाई में जमाबंदी रैयत अनुपस्थित। जमाबंदी रैयत पुना उराँव पिता मांगु उराँव के द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित साक्ष्य के रूप में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन (चेकलिस्ट सहित) प्राप्त है</p> <p>जाँच प्रतिवेदानुसार मौजा लिमड़ा, थाना नं० 41 के सर्वे खतियान में खाता सं० 77 प्लॉट सं० 1439 रकबा 2.37 एकड़ भूमि गैरमजुरुआ खास परती कदीम दर्ज है।</p> <p>राजस्व मांग पंजी <u>ii</u> में भाग I पृष्ठ सं० 103 खाता सं० 77 प्लॉट सं० 1439 रकबा 2.37 एकड़ भूमि पुना उराँव पिता मांगु उराँव के नाम से दर्ज है। प्राधिकार कॉलम में जमाबंदी का आधार दर्ज नहीं है। पंजी II में लगान रसीद नियमित दर्ज नहीं है। संबंधित पक्ष के द्वारा भूमि बन्दोबस्ती/जमाबंदी से संबंधित पर्याप्त व नियमानुकूल साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान में संबंधित पक्ष का स्पष्ट दखल-कब्जा नहीं है। परन्तु संदिग्ध जमाबन्दी वाद सं० 131/2016-17 के Online सूची में खाता सं० 77 कुल रकबा 4.94 एकड़ दर्ज पाया गया। इस प्रकार रकबा में अन्तर है।</p> <p>अतः त्रुटिपूर्ण रहने के कारण वाद की कार्रवाई तत्काल समाप्त की जाती है।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  अंचल अधिकारी करा। </div> <div style="text-align: center;">  अंचल अधिकारी करा। </div> </div>	